न्यायालयः अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी।

उपस्थिति – श्री ववेक कुमार

परिवाद पत्र सं0–245/2018

ललिता देवी बनाम पंचम दास

दिनांक

10.03.2026

परिवादिनी अनुपस्थित है। सभी दो अभियुक्त क्रमशः 01. हरचन दास 02. मनिया देवी की हाजिरी दी गई। वाद पुकारा गया। वाद प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह परिवाद वाद दिनांक 23.07.2018 को परिवादिनी ललिता देवी द्वारा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी के न्यायालय में दाखिल किया गया। जांचोपरांत दिनांक 03.12.2019 को भा0द0वि0 की धारा–498A के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला पाकर अभियुक्त को समन किया गया तथा अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने के पश्चात् वाद आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

अभिलेख का अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। परिवादिनी ने आरोप पूर्व कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है जबकि इसके लिये उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है तथा दिनांक 04.12.2025 को आरोप पूर्व साक्ष्य बंद किया गया तथा दिनांक–04.12.2025 को बचाव पक्ष की ओर से द0प्र0सं0 की धारा–245(2) के अंतर्गत अभियुक्तगण को वाद से उन्मोचित करने हेतु एक आवेदन दिया गया, जिसकी प्रति परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने लेने से इनकार किया। जिसका कोई भी प्रत्युत्तर परिवादिनी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के पश्चात यह न्यायालय यह पाती है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त नामित अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में द0प्र0सं0 की धारा–245(2) के अंतर्गत उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा– 498A के आरोप से दोषमुक्त कर वाद से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण तथा उनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। तद्नुसार इस वाद का निस्तारण किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनु0 न्या0 दंडा0, पुपरी
सीतामढ़ी।